

THE BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES.

Friday, the 11th April, 1947.

Proceedings of the Bihar Legislative Assembly assembled under the provisions of the Government of India Act, 1935.

The Assembly met in the Assembly Chamber at Patna on Friday, the 11th April, 1947, at 11-30 A.M., the Hon'ble the Speaker Mr. Vindhyeshwari Prasada Varma, in the Chair.

QUESTIONS AND ANSWERS.

DELAY IN THE RESTORATION OF GUNS SEIZED DURING THE 1942 MOVEMENT IN THE SUB-DISTRICT OF SAHARSA.

***351. Mr. RAJENDRA MISRA :** Will the Hon'ble Prime Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a very large number of guns of the public of Saharsa sub-district, seized during the movement of 1942, have not been returned to their owners as yet;

(b) whether it is a fact that several owners of those guns have filed petitions to the authority for return of their guns without any result;

(c) whether it is a fact that these petitions are not disposed of in due course of time;

(d) if the answer to clause (c) be in the affirmative, do Government propose to take suitable steps in the matter?

The Hon'ble Mr. SRI KRISNA SINHA : (a) 17 licencees were deprived of their weapons on political grounds. Two of them have been re-granted licences and have received back their weapons. Others have not applied for licence. 105 firearms were requisitioned under rule 75-A., D. I. R. for arming police-stations. 61 of these have been returned. The owners of three have sold their weapons to other licencees and three have died. Others have been asked to apply for the return of their weapons. Some guns have apparently been lost but inquiries are being made to trace them out. The owners will be compensated if the weapons are not found.

(b) and (c) The position has been explained fully in the answer to clause (a), above.

(d) The Additional District Magistrate is being instructed to dispose of all pending cases urgently.

CONSTRUCTION OF A CINEMA BUILDING AT SAHEBGANJ.

352. Mr. GUPTANATH SINGH : Will the Hon'ble Prime Minister be pleased to state—

(a) whether in September, 1944, a circular was issued by the Provincial Government asking District Officers not to license permanent Cinema houses without previously consulting the Provincial Government;

* In the absence of the questioner, the answer was given at the request of Sardar Haribhai Singh.

MESSAGES FROM THE LEGISLATIVE COUNCIL.

The Hon'ble the SPEAKER: Now, the Secretary will read out to the House messages which have been received from the Legislative Council.

SECRETARY TO THE ASSEMBLY: Sir, the following messages have been received from the Legislative Council:—

- (1) The Bihar Legislative Council at its meeting held on the 10th April, 1947, agreed, without any amendment, to the Bihar Nurses Registration (Amendment) Bill, 1947, as passed by the Assembly at its meeting held on the 9th April, 1947.
- (2) The Bihar Legislative Council at its meeting held on the 10th April, 1947, agreed, without any amendment, to the Bihar Medical (Amendment) Bill, 1947, as passed by the Assembly at its meeting held on the 9th April, 1947.

RESOLUTIONS.

Starting of an institution at Patna like the Hindustani Academy of Allahabad

MR. LAKSHMI NARAYAN SUDHANSHU: Sir, I beg to move :

That this Assembly recommends to Government to start at Patna an institution like the Hindustani Academy at Allahabad and to arrange for lectures of the learned persons of the country and to print and publish them in Hindustani, i. e., in Nagri and Persian scripts.

प्रमुख महोदय, जो प्रस्ताव आपके सामने मैंने उपस्थित किया है उसके संबन्ध में दो चार बातें आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूँ और उनकी तरफ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह जनता की दूसरी-दूसरी आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद कुछ ऐसी बातों को भी पूरा करें जो आसाधारण हैं। जैसे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार बुद्धि और मन्त्र के लिए भी भोजन की आवश्यकता है। इसलिये सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि शरीर के भोजन के साथ मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए भी इन्तजाम करें। इसलिए इस प्रस्ताव में यह कहा गया है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह यू० पी० के इलाहाबाद के हिन्दुस्तानी एकेडेमी की तरह एक संस्था इस सूत्र में भी बनावे जिससे यहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी हों।

The Hon'ble the SPEAKER: Order, Order. There should be perfect silence when an hon'ble member is in possession of the House. He is entitled to be heard.

Mr. LAKSHMI NARAYAN SUDHANSU : प्रमुख महोदय, तो मैं चाहता हूँ कि इलाहाबाद के हिन्दुस्तानी एकेडेमी जैसी एक संस्था हमारे प्रांत में और खास कर पटने में होनी चाहिए। इस संस्था की जो मुख्य धाराएँ हैं उनको मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। इसकी पहली धारा

(a) Awarding prizes for the production of approved books on different subjects : यानि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें रचने के लिए पारितोषिक देने का प्रबंध करना।

(b) Arranging for the translation in Urdu and Hindi of works in other languages by payment or otherwise and to publish the same ; यानी दूसरी-दूसरी भाषाओं की पुस्तकों को हिन्दी और उर्दू में अनुवाद करने के लिए पुरस्कार देना और उनको छपवाने का इन्तजाम करना।

(c) Encouraging the production of original works or translations in Hindi or Urdu whether by grants to Universities and Literary Associations or otherwise मौलिक पुस्तकों की रचना या अनुवाद के लिए प्रोत्साहन देना और जो लेखक मौलिक पुस्तकों का हिन्दी या उर्दू में रचना या अनुवाद करते हों, उनके लिए प्रयत्न करने हों, विश्वविद्यालयों और साहित्य सम्मेलनों या उर्दू की कोई संस्था जो भाषा और साहित्य-सुधार से संबन्ध रखती हों, उनको कुछ ग्रांट देकर या दूसरे तरीके से इसे कार्य में प्रोत्साहन देना।

(d) Electing eminent writers and scholars to Fellowship of the Academy : बड़े-बड़े और प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और विद्वानों को इस संस्था का सदस्य निर्वाचित करना।

(e) Electing the benefactors of the Academy as Honorary Fellows : एकेडेमी की भलाई करनेवालों को अवैतनिक सहयोगी मनोनीत करना

(f) Establishing and maintaining a Library : उस संस्था में एक बड़े पुस्तकालय की स्थापना करना और उसको सुचारुरूप से संचालित करना

(g) Inviting eminent scholars to deliver addresses and lectures : बड़े-बड़े विद्वानों को एकेडेमी में भाषण देने के लिए निमंत्रित करना और उनके भाषण का प्रकाशन कराना, और

(h) Doing all other acts and taking all other steps to advance the object specified above: इसके अतिरिक्त उन सब कामों को करना और इस तरह से प्रबन्ध करना जिससे भाषा और साहित्य का भी प्रचार और विकास हो और वे अप्रसर हों। यही इस एकेडेमी का लक्ष्य होगा।

प्रमुख महोदय, आप जानते हैं कि, किसी राष्ट्र की उन्नति उसकी भाषा और साहित्य पर ही अवलंबित है। कोई राष्ट्र एक दिन में पराधीन से स्वाधीन हो सकता है और स्वाधीन से पराधीन भी हो सकता है, लेकिन एक दिन में तरक्की नहीं कर सकता है और न एक दिन में महाकवि कालीदास को ही पैदा कर सकता है और न तुलसीदास ही को। हिन्दुस्तान एक दिन में पराधीन

से स्वाधीन बन सकता है, लेकिन एक दिन में साहित्य की रचना और उत्थान नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि यूरोप में राजनैतिक परिवर्तन कितने बार हुए, परन्तु फिर भी वहाँ का साहित्य आज कितनी उन्नति पर है और किसी राष्ट्र की सच्ची उन्नति तभी होती है जब उसका साहित्य उन्नतिशील दृशा में रहता है। आज अमेरिका का साहित्य कितना ऊँचा है और अंग्रेजी साहित्य भी कितनी ऊँची हालत में है। राष्ट्र भाषा होने से लोगों की जिज्ञासा उसको पढ़ने की तरफ़ होती है और इस तरह से साहित्य की वृद्धि होती है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वह एक ऐसी संस्था को कायम करे जो भाषा और साहित्य की उन्नति करे। अभी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो प्रकाशक हैं वे बड़ी-बड़ी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करते हैं। वे लोग ऐसी पुस्तकों को छापते हैं जो, या तो कोर्स की पुस्तकें हैं या उपन्यास हैं और जो बाजार में अच्छी तरह से खप सकती हैं। दो चार अच्छी किताबें मुश्किल से निकलती हैं और अभी तक इनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। अभी किताबों के छापने का मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना होता है। इसलिए वे लोग ऐसी किताबों को नहीं प्रकाशित करते जो बाजार में नहीं बिक सकें और जिससे ज्यादा पैसे नहीं मिलें। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि, ऐसे गूढ़ साहित्यिक किताबों को प्रकाशित करावे जिनकी अगर कम भी बिक्री हो तो भी कोई हर्ज की बात नहीं हो। साहित्य तो दुनियाँ में एक ऐसी चीज है कि अगर एक हजार आदमियों में से पाँच-छः आदमी भी उसे पढ़ें तो समझना चाहिए कि उसकी कीमत वसूल हो गई।

यदि आप हमारे यहाँ के प्रकाशन की तालिका देखेंगे तो पायेंगे कि धर्म की, दर्शन की या शिक्षा शास्त्र और विभिन्न विज्ञान की बहुत कम किताबें हैं जिनका साहित्य में मान हो। इस कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार पर पड़ती है क्योंकि जनता को मानसिक भोजन देना सरकार का कर्तव्य है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैंने आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। अब जैसा कि युग का प्रवाह है और जनता में जैसी जागृति के लक्षण दिख पड़ते हैं, बहुत सी जगहों में हिन्दुस्तानी माध्यम द्वारा शिक्षा देना शुरू हो गया है और अन्य स्थानों में होने वाला है। इन स्थितियों पर गौर करते हुये यह एक कठिन प्रश्न उठ जाता है कि हमारी भाषा में इतना साहित्य कहाँ है, इतने ग्रन्थ कहाँ हैं कि विश्व विद्यालयों में हिन्दुस्तानी माध्यम द्वारा शिक्षा दी जा सके। शायद गवर्नमेंट को भी माध्यम बल देने में इस कमी के कारण दिक्कत हो सकती है। टेक्स्टबुक कमिटियों इस काम को कर रहीं हैं, लेकिन वे तो कोर्स की किताबों के ही प्रकाशन का काम करती हैं। इतना ही उद्देश्य इस सरकार का नहीं होना चाहिये। स्कूल कालेज के अलावा जो बाहर के रहने वाले हैं, उनके मानसिक भोजन और जिज्ञासा-पूर्ति के लिये गम्भीर साहित्य के प्रकाशन की आवश्यकता है।

इस काम को सरकार हर मोर्चे से करे तो ठीक है। अभी जिन ग्रन्थों का पटना विश्व-विद्यालय की ओर से प्रकाशन होता है वह तो चलता ही रहे वल्कि उसको और तेजी से करना चाहिये। इसके साथ-साथ सरकार की ओर से भी ऐसा काम होना चाहिये। आपके सामने रसायन शास्त्र है। इस विषय की कितनी पुस्तकें आपके यहाँ अपनी भाषा में हैं? इस विषय की पुस्तकों के प्रकाशन में आपको मदद करनी चाहिये। इस तरह की पुस्तकों के प्रकाशन में ज्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि इनको पढ़ने वालों की संख्या कम होती है। ये किताबें बी० एस-सी० और

एम्० एस-सी० में पढ़ाई जाती है, जिनमें सी-बी सी से ज्यादा लड़के नहीं रहते हैं। स्कूलों में तो हजारों-हजार लड़के पढ़ते हैं, इसलिये स्कूल की किताबों का प्रकाशन हो जाता है, क्योंकि ज्यादा सख्या में किताबें विकती हैं, लेकिन एम्० ए०. बी०. ए०. की किताबों की विक्री कम होती है। एक तो ज्यादा खर्च पड़ता है और उस पर भी किताबों की विक्री दस-पन्द्रह से ज्यादा नहीं होती है। एक ही संस्करण की किताबें कई वर्षों तक रह जाती हैं और दूसरे संस्करण की नीवत ही नहीं आती। प्रकाशक जो कि रुपया चाहते हैं, वे ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करते। ऐसी हालत में सरकार की मदद आवश्यक हो जाती है। इससे साहित्य की उन्नति होगी, उसका प्रचार बढ़ेगा और भाषा का रूप भी उचित तरीके से प्रभावशाली होगा। इसका उद्योग किया जाय तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपना एक बड़ा कर्तव्य पूरा करेगी।

केवल इतना ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े विद्वान जो देश में हैं या किसी दूसरे देश में हैं, उनको निमंत्रित करके उनके व्याख्यान विलाये जायें और उनको पुस्तक-रूप देकर प्रकाशित किया जाय जैसा और विश्वविद्यालयों में किया जाता है। इस तरह की पुस्तकमालाएँ तैयार की जा सकती हैं। इस मामले में पटना विश्वविद्यालय सबसे पिछड़ा हुआ है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बंगला भाषा में बहुत पुस्तकों का प्रकाशन कराया है। इलाहाबाद विश्व विद्यालय ने भी बहुत पुस्तकें निकाली हैं। लेकिन यदि हिन्दुस्तानी एकेडेमी को स्थापित करके आप इस काम को अपने हाथ में ले लें तो काम बहुत जल्द रास्ता पकड़ लेगा और दोनों मोर्चों पर काम होगा। सरकार भी करेगी और विश्व विद्यालय भी करेगा। दूसरे दूसरे प्रकाशक भी करेंगे, मगर इनका उद्देश्य दूसरा होता है। वे लोग आर्थिक उद्देश्य से प्रकाशन करते हैं, मगर सरकार का यह उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि यह तो राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य समझ कर करेंगे।

इसलिये प्रमुख महोदय के जरिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि, मैंने जो प्रस्ताव आपके सामने रखा है उसको स्वीकार करें और उसके मुताबिक काम करने की कोशिश करें।

Mr. RAMASIS THAKUR : सभापति जी, मैं श्रीमुधांशु जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसपर हाउस के किसी हिस्से से भी विरोध नहीं होना चाहिये। आज हमारा राष्ट्र स्वतन्त्रता के दरवाजे पर है। ऐसे मौके पर अपने देश की भाषाओं के द्वारा ही हमें देशवासियों को शिक्षित करना है। यह भी निश्चित है कि, हिन्दुस्तानी ही हमारी राष्ट्र भाषा होगी चाहे उसे आध हिन्दुस्तानी नाम से पुकारें या हिन्दी या किसी नाम से पुकारें। मेरा मतलब उस भाषा से है जो सब को सुबोध हो और जिस को हिन्दू-मुसलमान दोनों आसानी से समझ सकते हों। इसलिये इसकी उन्नति के लिये सरकार को काफी प्रयत्न करना चाहिये।

हमारे यहाँ जो गम्भीर विषय है उनकी शिक्षा देने के लिये बढ़िया पुस्तकों की बहुत कमी है। टेक्निकल (technical) किताबों, जैसे डाक्टरों और इंजिनियरिंग इत्यादि और विश्लेषणों से पुस्तकें लिखवाई जायें, उन्हें बुला कर व्याख्यान करायें जायें और उनको पुस्तक रूप में छपवाया जाय। हम देखते हैं कि, अंग्रेजी भाषा में या दूसरी भाषाओं में जिस विषय को हम लोग उपेक्षा करते हैं उसका भी अनेकों पुस्तकें मिलगी। लेकिन हमारे यहाँ अपनी भाषा में बहुत

कम ऐसी पुस्तकें मिलेंगी। एक छोटी सी मिसाल फूल की ले लीजिये। गुलाब के फूल के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो अन्य भाषाओं में बहुत सी किताबें मिलेंगी। इसी तरह और भी छोटे-छोटे विषय हैं जिनकी अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो सैकड़ों पुस्तकें अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में मिलेंगी लेकिन हमें अपनी भाषा में नहीं मिलेंगी। इसलिये मैं अनुरोध करूँगा कि, जिस तरह युक्त प्रान्त में हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी है उसी तरह यहाँ भी कायम करने की जरूरत है। इसको तो पहले ही कायम होना चाहिये था। खैर, अब श्रीसुधांशु जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और चूँकि यह कांग्रेस गवर्नमेन्ट है इसलिये आशा है कि, यहाँ हिन्दुस्तानी ऐकेडेमी खुल जायेगी।

Mr. GUPTANATH SINGH : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र बाबू लक्ष्मी नारायण जी 'सुधांशु' के प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करने के लिये उठा हूँ।

साहित्य का समाज के साथ गहरा सम्बन्ध है और समाज का शासन के साथ। शासन का ठीक ढंग से, सम्यक् रूप से संचालन करने के लिये, उसके सूत्र को अच्छी तरह से संभालने के लिये यह आवश्यक है कि, उपयुक्त साहित्य प्रकाशित किया जाय और उसका जनता में समुचित प्रचार और प्रसार किया जाय।

मैं देखता हूँ कि, हमारे देश में आजकल जितने भी पारिभाषिक शब्द लिये जा रहे हैं, वे अंग्रेजी से लिये जा रहे हैं; परन्तु यह दुःख का विषय है कि, उन शब्दों को हम ठीक ढंग से, उचित रूप में अपनी भाषा में नहीं ला रहे हैं। कोई एक शब्द ले लीजिये, जैसे, Publicity Van इसे कोई Propaganda Van कहता है, कोई Publicity Van कहता है। सरकार की तरफ से एक बेल गाड़ी है, जिसका आकार-प्रकार ठीक मोटर जैसा है, जिसमें बेल नाये जाते हैं, मैं शाहाबाद की बात कहता हूँ। देहातों में जाते-जाते एक लड़का उस गाड़ी को देख कर बोल उठा 'अरे बेलहवा गाड़ी न देख' दूसरा लड़का बोल उठा 'बेल मोटर' आई है। 'बेल मोटर' जो शब्द है उससे बढ़कर Publicity Van के लिये उपयुक्त शब्द हो नहीं सकता। इस तरह से हमारे गावों के लोग यहाँ तक कि, बच्चे भी, अच्छी तरह से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अर्थशास्त्र का एक शब्द Imperial preference शब्द है, जिसके लिये कुछ विद्वान 'साम्राज्यान्तर्गत रियायत' शब्द का प्रयोग करते हैं, जो मूल शब्द का ठीक ढंग से भाव नहीं व्यक्त करता। इसलिये शब्दों का निर्माण मनीषियों द्वारा, अच्छे-अच्छे विद्वानों द्वारा ही हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विद्वानों का समय एक तो बहुमूल्य है, साथ ही साथ उनके सामने आर्थिक कठिनाइयाँ भी हैं। हमारे प्रस्तावक मित्र ने ठीक कहा है कि, इस समय पुस्तक-प्रकाशक लेखकों को बिल्कुल ही कम पुरस्कार देना चाहते हैं। इसलिये विद्वानों को, जो अपने बहुमूल्य समय का उपयोग करते हैं, परिश्रम के अनुकूल पुरस्कार नहीं मिलता है। फल यह होता है कि, या तो वे विदेशी भाषा में लिखने लगते हैं अथवा निराश होकर चुपि साध लेते हैं। मैं आपको बताऊँ कि, हमारे अपने प्रान्त में बहुत से मनीषी हैं। उच्च कोटि विद्वान हैं, जो चुपचाप इस तरह बैठे रहते हैं, ऐसी बत्ति धारण किये रखते हैं, मानों कुछ जानते ही नहीं। जब कभी वे लिखते हैं, तो विदेशी भाषा में लिखते हैं। हमारे प्रधान मंत्री को लोग चक्का ही जानते हैं, लोग

कहते हैं कि, वे 'बिहार केशरी' हैं। मैं उन्हें वक्ता और लेखक दोनों के रूप में जानता हूँ। कुछ वर्ष हुए मैंने एक पत्रिका 'विशाल भारत' में एक लेख देखा था। उन्होंने ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति के सम्बन्ध में एक लेख लिखा था। वह इतना उच्चकोटि का लेख था कि, हिन्दू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि, भाई, तुम्हारे प्रधान मंत्री तो उच्चकोटि के लेखक भी हैं। मैंने कहा कि, बिहार के लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं और लिखते हैं या बोलते हैं तो कमाल दिखला देते हैं। हमारे अर्थ मंत्री बाबू अनुग्रह रत्नारायण सिंह की लेखन-क्षमता उनकी आत्म-कथा से सहज ही ज्ञात होती है। कृष्ण बल्लभ बाबू को साहित्यिक मंत्री कहना उपयुक्त न होगा। ऐसा क्यों न हो कि, प्रत्येक मंत्री से अपने-अपने विषय पर भाषण कराये जायें और पुस्तकाकार प्रकाशित कराये जायें। पो० शिवपूजन सहाय उच्चकोटि के विद्वान हैं। कितने ही मामूली योग्यता के लोग आचार्य कहलाते हैं, लेकिन वे आचार्य नहीं कहलाते। वे बेचारे जिन्दगी भर मास्टर साहब ही कहलाते रहे। लेकिन उन्होंने उच्चकोटि के विद्वानों के लेखों का संशोधन किया है। बड़े-बड़े विद्वानों के ग्रंथ उनके द्वारा सम्पादित हो कर निकलें हैं। इसी तरह ऐसे अनेक लेखक हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि, वे आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा उच्चकोटि के मनीषी विद्वान हैं। केवल बिहार के ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष के विद्वानों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, परन्तु वे अंग्रेजी में ही लिखते हैं। हिन्दी में नहीं लिखते, इसलिये नहीं कि हिन्दी नहीं जानते हैं, हिन्दी तो वे खूब जानते हैं। इसका मतलब क्या है? हिन्दी में लिखते तो जनता को बहुत लाभ होता। कई विद्वानों के साथ मेरा सम्पर्क है। मैं जानता हूँ कि, उनके साथ उनके बार-बार उसकाने पर डाक्टर साहब ने अपनी आत्म-कथा लिखना प्रारंभ किया है। मैं क्यों न कहूँ कि, जैसे हमारे देशरत्न ने अपनी जीवनी लिख कर हिन्दी साहित्य में एक विशिष्ट शैली का प्रवर्तन किया है, उसी तरह डाक्टर साहब भी अपनी आत्म-कथा हिन्दी में लिखें? यह मैं मानता हूँ कि, डाक्टर साहब जो अंग्रेजी में लिखेंगे उसका विदेशों में प्रचार होगा, होना भी चाहिये; परन्तु मैं यह चाहता हूँ कि, हमारे जो मनीषी या विद्वान हैं वे अपनी हिन्दी भाषा में लिखें। जो हिन्दी में लिखते हैं, उसका प्रकाशन होता है तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, पढ़ने में आनन्द भी आता है, लेकिन विद्वान अपने भावों को लिखते ही नहीं हैं, प्रकाशित ही नहीं करते हैं। उनको इसके लिये प्रेरित किया जाय। मैं प्रान्तीयता का पोषक नहीं हूँ। मैं तो सर्व भारतीय आधार पर काम चाहता हूँ। जो विद्वान हैं उनके साहित्य का प्रकाशन कराया जाय, उनके द्वारा जो भाषण हों उनको प्रकाशित कराया जाय। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि, बिहार प्रान्त दूसरों से सीखे। जिस बिहार प्रान्त ने भगवान् रामचन्द्र को शिक्षा दी, जिसने गौतम बुद्ध को शिक्षा दी है और यहाँ से बाहर के बड़े-बड़े विद्वान् और मनीषी सीख कर गये, वह बिहार दूसरों को नकल करे। देखिये यू० पी० की एकेडेमी ने किस कोटि की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। वहाँ से बिहार-वागिश विद्यापति की जीवनी प्रकाशित हुई है, किन्तु बिहार ने अपने यहाँ के आचार्य चाणक्य के सम्बन्ध में दो पंक्तियाँ (lines) भी नहीं प्रकाशित की हैं। लोग यही समझते हैं कि, वे तक्षशीला के रहने वाले थे, पंजाब के रहने वाले थे। मैं कहता हूँ कि, वे बिहार के रहने वाले थे। लहेरिया सराय से एक भारी पोया प्रकाशित हुआ है। उसको पढ़ जाइये, उसमें दुनियाँ भर के विद्वानों के नाम मिलेंगे। मैंने जानना चाहा कि, चाणक्य के बारे में भी कुछ लिखा है या नहीं। देखना चाहा कि बिहार के विद्वानों और विभूतियों के सम्बन्ध में होगा तो चाणक्य के बारे में भी होगा। लेकिन

सारि पोथि उलट जाने पर भी कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने प्रोफेसर शिवपुजन सहाय जी से कहा कि जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा उल्लेख होना चाहिये था, जिसने भारतीय शासन व्यवस्था को बदलने में इतना बड़ा काम किया था, उसका कुछभी जिक्र नहीं है। वे बोलें की, तुम नवयुवक हो, इस विषय पर जो लिखने वाले हैं, वे लिखें तो बहुत अच्छा होगा। आज भी कौटिल्य अर्थ-शास्त्र उत्कृष्टता को देखकर अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाज शास्त्र आदि के पाश्चात्य विद्वान दांतों उँगली दवाते हैं।

हमारे विद्वान भी कभी कभी आलसी हो जाते हैं और पैसे की कमी से, आर्थिक कठिनायों के उपस्थित हो जाने से कमजोर होकर चुपचाप बैठजाते हैं। वे लोग विदेशी भाषा में ही लिखते हैं और अपनी रोट्टी कमाते हैं, जो इस दिशा में कुछ कर भी सकते हैं, उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी शोचनीय है वे कुछभी कर नहीं पाते हैं और आलसी हो जाते हैं। अगर इनको उत्साहित किया जाय तो आज ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे आचार्य ब्रह्मनाथ वर्मा ही को लीजिये। वे एक अच्छे विद्वान हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई कोई किताब या ग्रन्थ देखने में नहीं आता है। एक बार मैंने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के पं० राम नरायण मिश्र से उनका जिक्र किया तो उन्होंने कहा की, उनको तुम किसी तरह लिवा लाओ। इसलिये मैं चाहता हूँ की साहित्य की उन्नति के लिये एक ऐसी संस्था कायम की जाय जो इसको अच्छी तरह से संगठित रूप में संचालित करे। सरकार अगर इस कामको करे तो बहुत अच्छा होगा-क्योंकि उसको आमदनी और फायदे का खयाल न होगा। उसके सामने यह सवाल नहीं रहेगा कि इससे लाभ होगा या हानी इसको तो नैतिक और समाजिक उपयोगिता की दृष्टि से चलाना है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी एकेडेमी की तरफसे किस तरह को पुस्तकें निकलती हैं। हर्ष वर्धन, बराह मिहिर, भोज, चन्द्रगुप्त, विद्यापति, अशोक, विक्रमादित्य, हिन्दुस्तान का साहित्य इत्यादि कितने उच्चकोटि के ग्रन्थ इस एकेडेमी द्वारा प्रकाशित हुए हैं। एक पुस्तक व्यापारिक मूल पर प्रकाशित हुई। हमारा देश जो जंगलों और खानों से भरा हुआ है, परन्तु अपनी भाषा में इस संबन्ध में कोई पुस्तक नहीं है। हमारे आदिवासी भाइयों की संस्कृति और गाने इतने पुराने हैं और उनके बाँस के मकान इतने साफ-सुथरे रहते हैं तो भी उनकी संस्कृति के अध्ययन करने और उनके ऊपर कोई ग्रन्थ लिखने का इन्तजाम नहीं है।

देहात में एक “चोहर” शब्द है। आप हिन्दी, संस्कृत के शब्दकोष को देखेंगे तो उसको व्यक्त करने के लिये कोई उपयुक्त शब्द नहीं पाएँगे। चोहर शब्द का अर्थ है कि, जब प्यास लगी हो तो थोड़ा पानी पिये, लेकिन तृप्ति नहीं हो। तो हम चाहते हैं कि, ऐसा विभाग खोला जाय जो संगठित रूप से इन शब्दों को इकट्ठा करे और इनके पर्यायवाची शब्दों को भी खोजें। इसी तरह एक शब्द है ‘गाय का पेन्हाना’। यदि आप संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा के शब्दकोष को देखेंगे तो उसके भाव को व्यक्त करनेवाले शब्द आप को नहीं मिलेंगे। इसी तरह से देहातों में बहुत से शब्दों का प्रयोग होता है और वे समय-समय पर बोले जाते हैं। खलिहान में बोलने के लिये अलग शब्द हैं, रोपनी के समय अलग शब्दों का व्यवहार होता है। इन शब्दों का किस तरह से व्यवहार होता है। इस प्रकार के पारिभाषिक भावों को ठीक ढंग से व्यक्त करनेवाले शब्दों का

संग्रह करने के लिये सरकार को इस काम में कुछ विद्वानों को लगाना चाहिये। अभी आपकी धारा सभा (असेम्बली) में एक शब्द बहुत ज्यादा व्यवहार आता है और वह शब्द है "चीफ ह्वीप" (Chief Whip) हमारे बाबू प्रभुनाथ सिंह इस असेम्बली के 'चीफ ह्वीप' हैं। 'चीफ' का अर्थ होता है 'प्रधान' और 'ह्वीप' का अर्थ होता है 'कोड़ा'। तो इस तरह से 'चीफ ह्वीप' का अर्थ हुआ 'प्रधान कोड़ा' ! लेकिन कितना भद्दा अनुवाद है यह। इसके लिये उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों को ढूँढ़ने के लिये बड़े-बड़े विद्वानों को इस काम में लगाना चाहिये। एक महाशय ने अंग्रेजी शब्दों का हिन्दी अर्थ के साथ एक शब्दकोष बनाया है। उसमें बार असोशियेशन (Bar Association) का अर्थ दिया हुआ है 'वकीलों की सभा'। अगर इसके बदले में 'वकील संघ' या 'कानून-संघ' कहा जाय तो बहुत अच्छा होता। 'वकील सभा' से 'वकील संघ' अच्छा मालूम होता है। इसी तरह से अनेक कामों के लिये अनेकों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उनको व्यक्त करने के लिये उपयुक्त और पारिभाषिक शब्दों को ढूँढ़ना बहुत जरूरी है।

इसी तरह से रोपनी के सम्बन्ध में, हल जोतने के विषयों में, फसल काटने के बारे में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, आरा और दूसरे-दूसरे जिलों और छोटा नागपुर के मानभूम आदि में जितने शब्द बोले जाते हैं, उनका सरकार द्वारा संग्रह होना चाहिये। इन शब्दों को खोजने और ढूँढ़ने के लिये एक प्रतिनिधि सभा कायम होनी चाहिये और उसमें हिन्दी-उर्दू के जानकार लिये जायें। हिन्दी साहित्य सम्मेलन और उर्दू-सम्मेलन के भी प्रतिनिधि रहें। इस तरह की सभा इन शब्दों को संग्रह करें और पारिभाषिक शब्दों को भी ढूँढ़ें। हमारे कई मंत्री प्रभावशाली लेखक और वक्ता हैं, लेकिन वे हमें कोई साहित्य नहीं दे रहे हैं। हमारे इसी असेम्बली में बहुत से मेम्बर ऐसे हैं जो बहुत उच्चकोटि के विद्वान् हैं। वे लोग सिर्फ कभी-कभी व्याख्यान दे देते हैं, लेकिन हिन्दी और उर्दू के प्रचलित शब्दों के संग्रह करने और नयी-नयी किताबों के छपवाने की ओर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है। साहित्य के विकास के लिये एक संस्था का होना बहुत जरूरी है। इस-लिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि, वह इस काम की ओर ध्यान दें और एक संस्था बनावे जो पारिभाषिक शब्दों का संग्रह करके एक शब्दकोष बनावे तथा उच्चकोटि के साहित्य का प्रकाशन करें। बिहार में 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' नाम की जिस संस्था के स्थापन के लिये हमारे सामने 'सुधांशु' जी का जो प्रस्ताव है, उनका मैं जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूँ और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि, ऐसी संस्था का शीघ्रताशीघ्र स्थापन हो, जिसमें अपने प्रान्त के तथा देश के प्रमुख विद्वानों के व्याख्यान कराए जायें और उन्हें पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित कराया जाय, साथही विभिन्न विषयों पर उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखवाये और प्रकाशित करायें जायें।

Mr. PURUSHOTTAM CHOHAN सभापति जी, आपके सामने हमारे दोस्त सुधांशु जी का जो प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे हिन्दुस्तानी में बोलने में भूल हो जाय तो आप माफ, किजीयेगा। किसी भी देश की संस्कृति जानने के लिये उसके साहित्य को पढ़ना पड़ता है और इसलिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि, साहित्य का विकास सम्पूर्ण रूप से होना चाहिये। जिस प्रकार हम लोग को अगर बंगाल की बातों को जानना है तो बंगला साहित्य को पढ़ना पड़ता है—सिर्फ बंगला बोलने से हम बंगाल की संस्कृति को नहीं जानसकते, मद्रास प्रान्त की हालत को

जानने के लिये मद्रासी साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी के बारे में जानने के लिये अंग्रेजी साहित्य को पढ़ना होता है, उसी तरह से हमारी संस्कृति को व्यक्त करने के लिये हमारा साहित्य का होना जरूरी है। साहित्य ही प्रजा की आरसी और दर्पण है। इसी स्थाल से जो हिन्दुस्तानी एकेडेमी का सवाल हम लोगों के सामने है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस एकेडेमी का यह काम होगा कि भावी लेखकों को तैयार करे। आजकल जितने लेखक हैं उनकी लेखनी १४ पन्ना लिखने के बाद रुक जाती है

The Hon'ble the SPEAKER: Perhaps the microphone is not working properly. The hon'ble member may try to adjust it properly and speak a bit louder.

Mr. PURUSHOTTAM CHOHAN: आजकल के लेखकों की कलम १४ पन्ना लिखने के बाद आगे नहीं चलती है। आजकल जितने लेखक होते हैं उनको लेख अच्छे दर्जे के नहीं होते हैं और ये लेखक तुरन्त लेखक की दुनिया से मर जाते हैं। इसलिये 'हिन्दुस्तानी एकेडेमी' नाम की संस्था का बिहार में और खासकर के पटने में होना बहुत जरूरी है जो भावी लेखकों को जिलाये और उनकी लेखनी शैली को आगे बढ़ावे।

मैं एक दूसरा सुझाव पेश करना चाहता हूँ। हिन्दुस्तानी एकेडेमी एक मासिक पत्रिका चला सकती है जिसमें भावी लेखकों के अच्छे-अच्छे लेख निकाले जा सकते हैं। मैंने सुना है कि लेखकों को अच्छे मासिक पत्रों में लेख प्रकाशन कराने में विवकत होती हैं। ऐसे लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिये मासिक पत्रिका का प्रकाशन बहुत जरूरी है। बाल-साहित्य जो बहुत ही आवश्यक है लेकिन उसका महत्व हम लोग महसूस नहीं करते हैं। इसकी तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। इस विषय पर हमारे यहाँ कितनी कम किताबें हैं इसको सभी लोग जानते हैं। स्त्री शिक्षा पर भी हमारे बहुत कम साहित्य हैं। किशोर वयस्क लड़के जो दस से चौदह के होते हैं उनकी ज्ञान पिपासा बड़ी तीव्र होती है मगर हमारे यहाँ किताबें नहीं हैं जिनको वे पढ़ें और अपनी ज्ञान पिपासा तृप्त करें।

अन्त में मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तानी एकेडेमी की स्थापना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे साहित्य को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इतना कह कर मैं सुधांशु जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Interval for Lunch

The Hon'ble Mr. BADRINATH VERMA—जनाब सदर साहब, मैं शुरू में ही यह कह देना चाहता हूँ कि, आनरेबुल मेम्बर ने जो प्रस्ताव यहाँ पेश किया है उसके आशय से गवर्नमेंट को पूरी हमदर्दी है। आज के जमाने में इस बात की सख्त जरूरत है कि, देशी भाषाओं में तरह-तरह की किताबें लिखवायी जायें और हर विषय में उनका साहित्य तैयार कराया जाय—खास कर जब आज अपने मुल्क में यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ हो रहीं हैं। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि ऊँचे दर्जे के साहित्य की जल्द से जल्द सृष्टि की जाय। इसलिये जहाँ तक प्रस्ताव का उद्देश्य है उससे गवर्नमेंट बिल्कुल सहमत है। सोचने की एक ही बात है। हिन्दुस्तानी एकेडेमी, जो युक्त प्रान्त में कायम है, ऐसे

मौके पर कायम की गयी थी जिस वक्त में शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ नहीं थीं। उस वक्त में खास करके ऐसी संस्था की जरूरत थी जो हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी में पुस्तकें लिखवाये और बड़े-बड़े विद्वानों को इकट्ठा कर उनसे भाषण कराये और ऊँचे दर्जे का साहित्य बनाने में सहायता पहुँचावे। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ थोड़ी सी भिन्न हो गयी है। आज कम-से-कम अपने प्रान्त में मैट्रिक परीक्षा हिन्दुस्तानी या देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा हो रही है और यूनिवर्सिटी ने भी यह तय कर लिया है कि, कालेज में आई० ए०, आई० एस्-सी०, बी० ए०, बी० एस्-सी० में हिन्दी-उर्दू के जरिये देशी भाषाओं के जरिये शिक्षा दी जाय। ऐसी अवस्था में यह यूनिवर्सिटी का फर्ज हो जाता है कि वह ऐसी पुस्तकें छपवाये और पाठ्य पुस्तकों (Textbook) के अलावा भी काफी संख्या में बाहरी पुस्तकें लिखवाये जिससे पढ़ने वाले लोगों को काफी मसाला मिले और वे अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। इस अवस्था में यह बात सोचने की है कि हिन्दुस्तानी एकेडेमी के तरीके पर कोई नयी संस्था अलग खोलने की जरूरत है या नहीं। मैं समझता हूँ कि, जो काम हिन्दुस्तानी एकेडेमी के जरिये कराया जायेगी या कराये जाने का विचार है वह काम अधिकांश में यूनिवर्सिटी का है। फिर उसके अलावा भी संस्थाएँ हैं जैसे-हिन्दी साहित्य सम्मेलन या अन्जुमन तरक्किए उर्दू, जिनका उद्देश्य इस तरह का साहित्य तैयार कराना है। तो इस बात को सोचना है कि यह काम यूनिवर्सिटी और जो दूसरी-दूसरी संस्थाएँ हिन्दी भाषा की उन्नति के लिये या उर्दू भाषा की उन्नति के लिये हैं उनके जरिये कराया जा सकता है या नहीं या इस बात की आवश्यकता है कि एक और खास एकेडेमी इस काम के लिये गवर्नमेंट की तरफ से कायम की जाय। गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में अभी अपना कोई खास मत कायम नहीं किया है। लेकिन अगर लोगों की राय हो, असेम्बली की राय हो कि इस तरह की संस्था का खोलना आवश्यक है तो गवर्नमेंट उसमें बाधा नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट से जहाँ तक हो सकेगा उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। विरोध की कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट उद्देश्य के साथ सहमत है और काम में सहायता देने को तैयार है। मैं प्रस्तावक (mover) महाशय से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि, वह इन बातों को सोच कर अगर वाजिब समझे तो अपने प्रस्ताव को वापस ले लें या जैसा आवश्यक समझें करें।

Mr. LAKSHMI NARAYAN SUDHANSU-प्रमुख महोदय, मेरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में अभी माननीय शिक्षा मन्त्री का जो उत्तर हुआ है उससे मुझे ज्यादा संतोष नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ और यह मुझे विश्वास भी है कि हिन्दुस्तानी एकेडेमी की स्थापना से यहाँ की देशी भाषाओं के साहित्य को जो लाभ पहुँचेगा वह बहुत ज्यादा होगा। मैं समझता हूँ कि केवल इतना ही कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह काम अब विश्व-विद्यालय को ही करना है या साहित्य सम्मेलन को करना है या अन्जुमन तरक्किए उर्दू को करना है। सरकार के चुपचाप बैठे रहने से संतोष की बात न होगी। मेरा अनुरोध है कि, माननीय शिक्षा मन्त्री खुले शब्दों में इसे स्वीकार करने की कृपा करें और हिन्दी साहित्य या उर्दू साहित्य जो कुछ भी हो, उसकी वृद्धि या तरक्की होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि इसके बिना सरकार अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकेगी। विश्वविद्यालय में और दूसरी जगहों में भी जहाँ हिन्दी माध्यम द्वारा या दूसरी देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा पढ़ाई का काम शुरू हो गया है या होने वाला है वहाँ इतना विराट क्षेत्र सामने है कि एक ही जरिये से हम इस काम को पूरा नहीं कर सकते।

में समझता हूँ कि विश्व विद्यालय इस काम को करने लगे तब भी बहुत क्षेत्र रह जायगा जो दूसरे लोगों के करने से पूरा होगा और दूसरी-दूसरी संस्थाएँ भी हैं जो इसको कर सकती हैं। मैंने पहले भाषण में निवेदन किया है कि दूसरे प्रकाशकों का ध्यान या दृष्टिकोण लाभ की ओर होता है। इसीलिये वे वैसी पुस्तकें प्रकाशित करने में अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते जिनमें कम लाभ होता हो। लेकिन सरकार का यह कर्त्तव्य है कि ऐसी पुस्तकें प्रकाशित कराये जिससे आवश्यक साहित्य की सृष्टि हो और लोगों को शिक्षा मिले। बहुत से ऐसे Technical subject हैं, ऐसे विषय हैं, ऐसी बातें हैं जिनको सर्वसाधारण नहीं कर सकते। इसकी जिम्मेवारी सरकार पर होती है। विश्वविद्यालय ऐसे काम को पूरा कर सकते हैं, एक सीमा तक यह काम हो सकता है लेकिन उनका ध्यान अपनी पाठ्य पुस्तकों की ओर रहेगा, बाहर की ओर नहीं। मैं समझता हूँ कि बाहरी पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिये दूसरी एजेन्सियों के द्वारा काम लिया जाय और विश्व विद्यालय केवल उन्हीं पुस्तकों को प्रकाशित करे जो आई० ए०, बी० ए०, एम्-ए० में पढ़ानी अभीष्ट हों। हिन्दुस्तानी एकेडेमी के द्वारा ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हों जिनसे बाहर के लोग भी फायदा उठा सकें और जरूरी समझा जाये तो ऐसी पुस्तकें पाठ्य क्रम में भी लाई जा सकती है। यह काम उनसे हो सकेगा। इसके अलावा साहित्य को प्रोत्साहन देने का जो काम है वह केवल विश्वविद्यालय के प्रकाशन से नहीं होगा। यह काम तभी हो सकता है जब बड़े बड़े साहित्यिक जो हैं, विद्वान हैं, उन्हें पुरस्कार देकर पारितोषिक देकर, व्याख्यान बिलाये जायें, पुस्तकें प्रकाशित करायीं जायें, लिखवायीं जायें। यह काम विश्वविद्यालय से नहीं चल सकता। इसलिये मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तानी एकेडेमी खुलनी चाहिये। अतः मैं अपने प्रस्ताव पर दृढ़ हूँ और फिर भी आपसे निवेदन है कि समाज की जागृति के लिये साहित्य सृष्टि का उद्योग करें। मैं समझता हूँ कि आनेरेबुल मेम्बरान हमारे साथ होंगे और माननीय मंत्री भी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

The Hon'ble Dr. BADRINATH VERMA—जनाब सबर साहब, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सरकार प्रस्ताव के आशय से पूरी तौरसे सहमत है और मैंने निवेदन किया था कि गवर्नमेन्ट समझती है कि और जरिये से भी यह काम हो सकता है और गवर्नमेन्ट का काम है कि जिन एजेन्सियों से साहित्य सृजन का काम हो सकता है उनकी सहायता करे। लेकिन अगर हाउस की यह राय हो कि एक ऐसी एकेडेमी भी खोली जाय तो गवर्नमेन्ट को उज्र नहीं है। अगर हाउस की यह मंशा है कि ऐसी एकेडेमी कायम की जाय तो गवर्नमेन्ट को स्वीकार है। मैं इस सम्बन्ध में यह कह देना चाहता हूँ कि लोगों में अच्छे साहित्य का प्रचार हो इसके लिये गवर्नमेन्ट ने थोड़ी बहुत काम शुरू करने का निश्चय कर लिया है। खास करके देहातों में लोगों के लिये हर विषय में जिस तरह के साहित्य की आवश्यकता है उसके संबंधमें गवर्नमेन्ट ने एक योजना स्वीकार कर लिया है और थोड़े ही दिनों में उस योजना को कार्यान्वित करने जा रही है। इसके जरिये जितने भी ऐसे विषय हो सकते हैं जिनसे लोगों का कल्याण हो सकता है या ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, उनपर साहित्य तैयार करने का काम गवर्नमेन्ट ने अपने उपर ले लिया है।

इस तरहसे साहित्य तैयार कराने का कुछ काम गवर्नमेन्टने अपने उपरले लिया है और उसके जरिये देहातों में भी साहित्य के प्रचार का काम वह शुरू करने जा रही है। यह ठीक बात है कि उत्साहित करने से साहित्य की सृष्टि हो सकती है और उज्ज्वल वर्जों की कितानि निकल सकती है।

पर जब उंचे दर्जे के साहित्य के पढ़ने वाले होते हैं तो ऐसा साहित्य भी आपही आप बनने लगता है पहले शिक्षा का माध्यम हिन्दुस्तानी नहीं था इसलिये हिन्दी भाषा की किताबों की विक्री कम होती थी। पहले पढ़ाई का माध्यम दूसरी भाषा थी इससे उसी भाषा की किताबें ज्यादा बिकती थी। लेकिन अब पढ़ाई का माध्यम बदल जाने से लोगों की मनोवृत्ति भी धीरे धीरे बदल जायेगी और हिन्दुस्तानी में भी अच्छी-अच्छी किताबें छपने और बिकने लगेंगी और साधारण लोग भी हिन्दुस्तानी की पुस्तकों को पढ़ना पसन्द करेंगे। जो प्रस्ताव इस हाउस के सामने है, उससे गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि बड़े-बड़े विद्वानों को प्रोत्साहन दिया जाय और साहित्य में अच्छी-अच्छी चीजों का समावेश किया जाय। गवर्नमेंट इस चीज को करने के लिये तैयार है। अब प्रस्तावक महोदय यह बतलाने की कृपा करें कि वे इसके बारे में क्या करने को कहते हैं।

The Hon'ble the SPEAKER: The question is:

That this Assembly recommends to Government to start at Patna an institution like the Hindustani Academy at Allahabad and to arrange for lectures of the learned persons of the country and to print and publish them in Hindustani, i. e., in Nagri and Persian scripts.

The motion was adopted.

For allowing only such preparations of Vegetable products (ghee) in the Province to be distinctly coloured in order to distinguish them from ordinary ghee Preparation.

SARDAR LARIHAR SINGH: Sir, I beg to move:

That this Assembly recommends to Government to take necessary measures to allow only such preparations of vegetable products (ghee) in the province which are distinctly coloured to distinguish them from ordinary ghee preparation.

Sardar HARIHAR SINGH—सभापति जी, मैंने जो प्रस्ताव आपकी इजाजत से आज इस असेम्बली में पेश किया है, उस पर ज्यादा वाद-विवाद करने की गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूँ कि, हमारा प्रस्ताव इस असेम्बली में सर्व-सम्मति से पास होगा। आप जानते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में बहुत से लोगों का गुजर घी और दूध से बनी चीजों के रोजगार से होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिये घी कितना जरूरी चीज है, इसको बतलाने की जरूरत हम नहीं समझते। हमारे देश में मांस खाने की परिपाटी नहीं है और इसके नहीं खाने से जो (Protien) कमी होती है उसकी पूर्ति दूध और घी के खाने से होती है। इस चीज की पूर्ति के लिये हमारे यहाँ के लोग घी का व्यवहार करते हैं लेकिन अब तो एक नयी चीज का व्यवहार हो रहा है जिससे लोगों का स्वास्थ्य चौपट हो रहा है। इस प्रान्त के ही नहीं बल्कि सारे देश के विद्वानों और बुद्धिमानों की राय में इस चीज से हानि होती है और इसको जितना जल्द दूर किया जाय उतना अच्छा होगा।